[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 29 /2018-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई, 2018

सा.का.नि. ..... (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, के नियम 23 के अनुपालन में केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 44/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 सितम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1149 (अ) दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (7) में, प्रविष्टि, "यूरो कैम ट्रेडिंग जीएमबीएच, राफर्ट ऑफशोर साल, लेबनान के माध्यम से", को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(फाइल संख्या 354/205/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट- प्रधान अधिसूचना संख्या 44/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को सा.का.नि. 1149 (अ), दिनांक 12 सितम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।